प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2018 को बालू बन्दोबस्तधारियों के साथ हुए बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति संलग्नः—

सर्वप्रथम प्रधान सचिव महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित बन्दोबस्तधारियों से परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई, समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निदेश दिये गये :—

(1) प्रधान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय कारणों से माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक लगे प्रतिबंध हटने के बाद दिनांक 01.10.2018 (सोमवार) से पूरे राज्य में बालू का उठाव चालू हो गया है।

बैठक के क्रम में यह भी अवगत कराया गया कि अब धर्मकाँटा से जुड़े बालू घाटो से ही चालान निर्गत किया जाना है। इस हेतु दिनांक 01.10.2018 से Pilot Basis के तौर पर सभी बालू घाट जिलों में तत्काल एक धर्मकाँटा से Online चालान निर्गत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, जिसके लिए बालू परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का निबंधन अनिवार्य है।

चिन्हित धर्मकाँटा की विस्तृत विवरणी विभागीय वेबसाईट www.mines.bih.nic.in पर उपलब्ध है। लघु खनिजों (बालू) का प्रेषण करने वाले वाहनों का निबंधन अधिसूचित धर्मकाँटा से कराना अनिवार्य है।

(2) प्रधान सचिव द्वारा सभी बन्दोबस्तधारियों को निदेश दिया गया कि वाजिब कीमत पर ही आम जनता को बालू उपलब्ध करावें।

(3) समीक्षा के क्रम में बन्दोबस्तधारियों द्वारा बताया गया कि लगभग सभी जिलों में धर्मकाँटा से बालू का कारोबार शुरू हो गया है। वैशाली और जहानाबाद जिलों के बन्दोबस्तधारियों को निदेश दिया गया कि वे अविलम्ब धर्मकाँटा लगाना सुनिश्चित करें।

(4) सभी बन्दोबस्तधारियों को निदेश दिया गया कि जिन जिलों का तृतीय किश्त का भुगतान लंबित है, वे अविलम्ब बकाया राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(5) समीक्षा के क्रम में PMU द्वारा बताया गया कि सभी नदियों के सम्पूर्ण घाट के लिए कैपिंग निर्धारित की जा चुकी है।

(6) विमर्श के क्रम में बन्दोबस्तधारियों द्वारा सूचना दी गई कि ई—चालान को scan कर Duplicate चालान से बालू प्रेषण किया जा रहा है। उनके द्वारा विकल्प के रूप में High security होलोग्राम को ई—चालान के Hard copy मे लगाने का प्रावधान करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा मुख्यालय के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस बिन्दु पर अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(7) PMU के कर्मियों को निदेश दिया गया कि बालू बन्दोबस्तधारियों के घाटो पर हो रहे नेट वर्किंग के समस्याओं अविलम्ब निदान सुनिश्चित करें।

(8) PMU के कर्मियों को निदेश दिया गया कि बन्दोबस्तधारियों के साथ कार्यरत् डाटा इन्ट्री ऑपरेटरो को आवश्यक मुद्दो पर प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य के लिए

जगह/तिथि एवं समय निर्धारित कर संबंधित प्रभारी पदाधिकारियों को पत्र निर्गत कराने का निदेश संबंधित कार्यवाह सहायक को दिया गया।

(9) माईनिंग प्लान के संबंध में बन्दोबस्तधारियों को अवगत कराया गया कि जिन जिलों का रूपान्तरित (Modified) माईनिंग प्लान विभाग से अनुमोदित किया जा चुका है उस पर अविलम्ब सक्षम प्राधिकार से E.C. प्राप्त कर खनन कार्य प्रारम्भ करें।

(10) प्रधान सचिव द्वारा मुख्यालय के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभिन्न जिलों के बन्दोबस्तधारियों के साथ बैठक प्रत्येक माह कराना सुनिश्चित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

ह0/—

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक 3963 /एम0,पटना, दिनांक 11/10/18 ।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के आप्त सचिव/ विशेष सचिव—सह—निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना/उप निदेशक (मु0)/सहायक निदेशक (मु0)/प्रशाखा पदाधिकारी— I/II / संबंधित सभी बालू बन्दोबस्तधारियों/आई0टी0 प्रबंधक एवं PMU के कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/18
सुशील कुमार
सरकार के अवर सचिव।